¹[Rule 7 : Supply of services attributable to different states/Union Territories u/s 13(7)

The supply of services attributable to different States or Union territories, under sub section (7) of section 13 of the said Act, in the case of services supplied in respect of goods which are required to be made physically available by the recipient of services to the supplier of services, or to a person acting on behalf of the supplier of services, or in the case of services supplied to an individual, represented either as the recipient of services or a person acting on behalf of the recipient, which require the physical presence of the recipient or the person acting on his behalf, where the location of the supplier of services or the location of the recipient of services is outside India, and where such services are supplied in more than one State or Union territory, shall be taken as being in each of the respective States or Union territories, and the proportion of value attributable to each such State and Union territory in the absence of any contract or agreement between the supplier of service and recipient of services for separately collecting or determining the value of the services in each such State or Union territory, as the case maybe, shall be determined in the following manner, namely:-

- (i) in the case of services supplied on the same goods, by equally dividing the value of the service in each of the States and Union territories where the service is performed;
- (ii) in the case of services supplied on different goods, by taking the ratio of the invoice value of goods in each of the States and Union territories, on which service is performed, as the ratio of the value of the service performed in each State or Union territory;
- (iii) in the case of services supplied to individuals, by applying the generally accepted accounting principles.

Illustration 1: A company C which is located in Kolkata is providing the services of testing of a dredging machine and the testing service on the machine is carried out in Orissa and Andhra Pradesh. The place of supply is in Orissa and Andhra Pradesh and the value of the service in Orissa and Andhra Pradesh will be ascertained by dividing the value of the service equally between these two States.

Illustration 2: A company C which is located in Delhi is providing the service of servicing of two cars belonging to Mr. X. One car is of manufacturer J and is located in Delhi and is serviced by its Delhi workshop. The other car is of manufacturer A and is located in Gurugram and is serviced by its Gurugram workshop. The value of service attributable to the Union Territory of Delhi and the State of Haryana respectively shall be calculated by applying the ratio of the invoice value of car J and the invoice value of car A, to the total value of the service.

¹ Rule 7 inserted by Noti. No. 04/2018–Integrated Tax, dt. 31-12-2018 w.e.f. 01-01-2019.

The Integrated Goods & Services Tax Rules, 2017

Illustration 3: A makeup artist M has to provide make up services to an actor A. A is shooting some scenes in Mumbai and some scenes in Goa. M provides the makeup services in Mumbai and Goa. The services are provided in Maharashtra and Goa and the value of the service in Maharashtra and Goa will be ascertained by applying the generally accepted accounting principles.]

एकीकृत माल और सेवा कर नियम, 2017

¹[नियम 7 : धारा 13(7) के अधीन, भिन्न—भिन्न राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदाय योग्य सेवाओं की पूर्ति

उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) के अधीन, भिन्न-भिन्न राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों को प्रदाय योग्य सेवाओं का प्रदाय, ऐसे माल के सम्बन्ध में प्रदाय की गई सेवाओं के मामले में, जो सेवाओं के प्रदायकर्ता को या सेवाओं के प्रदायकर्ता की ओर से कार्य कर रहे व्यक्ति को या ऐसा व्यक्ति, जो या तो सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के रूप में प्रतिनिधित्व करता है या प्राप्तिकर्ता की ओर से कार्य कर रहे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, को प्रदाय की गई ऐसी सेवाओं के मामले में, जिनमें प्राप्तिकर्ता या उसकी ओर से कार्य कर रहे व्यक्ति की वस्तुतः उपस्थिति की अपेक्षा की जाती है, जहां सेवाओं के प्रदायकर्ता की अवस्थिति या सेवा के प्राप्तिकर्ता का अवस्थिति भारत से बाहर है और जहां ऐसी सेवाएं एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से अधिक में प्रदाय की जाती है, प्रत्येक सम्बन्धित राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों में प्राप्त की गई समझी जाएगी और यथास्थिति, ऐसे प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में सेवाओं को पृथक रूप में संगृहीत करने या उनके मूल्य का अवधारण करने के लिए सेवा के प्रदायकर्ता या सेवाओं की प्राप्तिकर्ता के बीच किसी संविदा या करार के अभाव में प्रत्येक ऐसे राज्य और संघ राज्यक्षेत्र को प्रदाय योग्य मूल्य का अनुपात निम्नलिखित रीति में अवधारित किया जाएगा, अर्थात् :

- (i) उसी माल पर प्रदाय की गई सेवाओं के मामलें में, जहां सेवा निष्पादित की जाती है, वहां प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र की सेवा के मूल्य को बराबर विभाजित करके;
- (ii) भिन्न-भिन्न मालों पर प्रदाय की गई सेवाओं के मामलें में, प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों में ऐसे माल, जिस पर सेवा निष्पादित की जाती है, के बीजक मूल्य के अनुपात को प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में निष्पादित सेवा के मूल्य के अनुपात के रुप में लेकर;
- (iii) व्यष्टियों को प्रदाय की गई सेवाओं के मामले में सामान्यतः स्वीकार किए गए लेखा सिद्धान्तों को लागू करके।

दृष्टांत 1: कंपनी 'सी' जो कोलकाता में अवस्थित है, तलकर्षण मशीन के परीक्षण की सेवाएं प्रदान कर रही है और मशीन पर परीक्षण सेवा ओडिसा तथा आन्ध्र प्रदेश में की जाती है। प्रदाय का स्थान ओडिसा और आन्ध्र प्रदेश में है तथा ओडिसा और आन्ध्र प्रदेश में सेवा का मूल्य इन दो राज्यों के बीच सेवा के मूल्य को समान रुप में विभाजित करके अभिनिश्चित किया जाएगा।

दृष्टांत 2: कंपनी 'सी', जो दिल्ली में अवस्थित है, मिस्टर 'एक्स' की दों कारों की सर्विसिंग की सेवा प्रदान कर रही है। एक कार विनिर्माता 'जे' की है और दिल्ली में अवस्थित है तथा उसकी दिल्ली स्थित कार्यशाला द्वारा सर्विस की जाती है। दूसरी कार विनिर्माता 'ए' की है और गुरुग्राम में अवस्थित है तथा गुरुग्राम अवस्थित कार्यशाला द्वारा सर्विस की जाती है। दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र और हिरयाणा राज्य को क्रमशः प्रदाय योग्य सेवाओं का मूल्य, मूल्य की संगणना कार 'जे' के बीजक मूल्य और कार 'ए' के बीजक मूल्य के अनुपात को सेवा के कुल मूल्य पर लागू करके संगणित किया जाएगा।

दृष्टांत 3: श्रंगार कलाकार 'एम' को अभिनेता 'ए' को श्रंगार सेवाएं प्रदान करनी है। 'ए' कुछ दृश्यों की मुम्बई में शुटिंग और कुछ दृश्यों की गोवा में शुटिंग कर रहा है। 'एम' मुम्बई और गोवा में श्रंगार सेवा उपलब्ध कराता है। सेवाएं महाराष्ट्र और गोवा में उपलब्ध कराई जाती है तथा महाराष्ट्र और गोवा में सेवाओं का मूल्य साधारणतया स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों को लागू करके अभिनिश्चित किया जाएगा।]

¹ नियम 7 अधिसूचना क्रमांक 4/2018-एकीकृत कर, दिनांक 31.12.2018 एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018, द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावषील दिनांक 01.01.2019)। राजपत्र में शीर्षक नहीं दिये गये है। शीर्षक लेखक द्वारा दिये गये है।